संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2015 को विनिर्माता/विपणन कीटनाशी कंपनियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

संचिका नं0–9/उपा0 कीट0–53/2012

बैठक की उपस्थिति :– पंजी में संधारित।

बैठक की कार्यवाही :–

1. सर्वप्रथम पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
2. कीटनाशी विपणन कम्पनियों द्वारा नवीकरण हेतु प्रस्ताव समर्पित करते समय प्रपत्र–VII पूर्ण रूप भरा नहीं रहने के कारण नवीकरण की कार्रवाई में विलम्ब होती है। कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधियों को प्रपत्र–VII पूर्ण रूप से भरकर नवीकरण हेतु निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार सम्पूर्ण स्व अभिप्रमाणित कागजातों को संधारित करते हुए प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया ।

   (अनुपालनः–कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि)
3. कीटनाशी अधिनियम की धारा–33 के तहत् शपथ पत्र में नाम/पदनाम के साथ सही पता अंकित करते हुए समर्पित करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः–कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि)
4. कीटनाशी विनिर्माण/विपणन कम्पनियों द्वारा मासिक बैठक में भाग लेने के दरम्यान कई कम्पनियों द्वारा कीटनाशी प्राप्ति/खपत/भंडार प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे कम्पनियों का लाइसेंस नवीकरण करने पर विचार नहीं किया जायगा।

   (अनुपालनः– प्रशाखा–09 के सभी सहायक)
5. कीटनाशी विनिर्माण/विपणन कम्पनियों को यह निदेश दिया की वे किस डीलर को कितना कीटनाशी वितरीत करते हैं। इस संदर्भ में सभी कम्पनियों को प्रतिमाह विस्तृत जिलावार/विक्रेतावार प्राप्ति, बिक्री एवं भंडार प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि)
6. विनिर्माता कीटनाशी कम्पनियों को नवीकरण हेतु प्रस्ताव समर्पित करते समय माप–तौल एवं सुरक्षा मानक से संबंधित प्रतिवेदन निश्चित रूप से संलग्न करने हेतु निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि)
7. कीटनाशी विनिर्माण एवं विपणन कम्पनियों को नया अथवा नवीकरण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए स्थल जाँच पदाधिकारी द्वारा स्थल जाँच के दरम्यान यह सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया कि उस कम्पनी के अन्तर्गत गोदामों में भंडार पंजी के अनुसार कीटनाशी उपलब्ध है अथवा नहीं इसका जिक्र स्थल जाँच प्रतिवेदन में अंकित करने हेतु निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– सभी स्थल जाँच पदाधिकारी)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(धनन्जयपति त्रिपाठी),
संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–**9/उपा0कीट0–53/2012** 974 /कृ0, पटना, दिनांक, 23 फरवरी, 2015

प्रतिलिपिः– बिहार राज्य स्थित सभी विनिर्माता/विपणन कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–**9/उपा0कीट0–53/2012** 974 /कृ0, पटना, दिनांक, 23 फरवरी 2015

प्रतिलिपिः– संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0सं0) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक सर्वेलेन्स (मुख्यालय) बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (पौ0 सं0) बिहार, पटना/सहायक निदेशक(सां0)–सह–प्रभारी कीटनाशी अनुज्ञप्ति, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी–9/श्री अजय कुमार/श्री निर्भय कुमार सिंह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना, मीठापुर से अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी कीटनाशी विपणन/विनिर्माता कम्पनीयों को अपने स्तर से ई–मेल से बैठक की कार्यवाही की प्रति भेज दिया जाय।

संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–**9/उपा0कीट0–53/2012** 974 /कृ0, पटना, दिनांक, 23 फरवरी ,2015

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–**9/उपा0कीट0–53/2012** 974 /कृ0, पटना, दिनांक, 23 ~~जनवरी~~ फरवरी ,2015

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), 23/2/15
बिहार, पटना।